

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

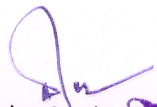
1. परियोजना विवरण:-

- क) उपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :- राज्य योजना अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :- संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत :- 68.33 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :-
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :-
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार भूमि का विवरण :- मार्ग निर्माण में 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि 1.312 हे० प्रयोग की जायेगी।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- उक्त निर्माण कार्य से कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा
- क) परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :- नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) :- हाँ
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः पलीकीएर की पचनवद्धता (बचनवद्धता संलग्न की जाये) :- संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरो। :- संलग्न है।

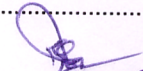
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक

स्थान उत्तरकाशी।

प्रयोक्ता 
अधिशारी अभियन्ता
नेर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
चिन्याली सौड उत्तरकाशी)

नाम

मोहर 
अधिशारी अभियन्ता
नेर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
प्रस्ताव की के सौड उत्तरकाशी)

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी
द्वारा भरा जाएगा)

भाग-3

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

उत्तराखण्ड ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र

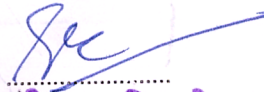
- I)
- II) जिला उत्तरकाशी ।
- III) वन प्रभाग उत्तरकाशी वन प्रभाग
- IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 3.417 हे० आरक्षित वन भूमि
- V) वन की कानूनी स्थिति **आरक्षित वन भूमि**
- VI) हरियाली का घनत्व 0.6
- VII) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की वृक्षों की परिगणना सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज/संलग्न है
- परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर० एल०- 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।
- VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भू- क्षरण की सम्भावना नहीं है।
- IX) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी **वन क्षेत्र 45**
- X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का वयौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए)
- XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। नहीं
- XII) या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, या नहीं
- 8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम -2 में प्रस्तावित वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि व 1.312 हे० नाप भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।
- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें। तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है। नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा- संलग्न है।
- I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र अपि-पास के वन क्षेत्र से संलग्न है।

II)	इसकी दूरी भू खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्डों की प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्डों का आकार।	संलग्न है।
III)	आरोपि की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रिम के विवरण कर्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
IV)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
V)	प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रिम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	उत्तरकाशी वन प्रभाग
12-	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चिन्यालीसौड।
I)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	801600.00 हे०
II)	जिला का वन क्षेत्र	695783.35 हे०
III)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	381 मामले
IV)	1980 से जिला/ प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1241.56066 हे०
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
(ख)	वनेत्तर भूमि पर अब तक	487.50
V)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	रिक्त
(क)	वन भूमि पर	48.50
(ख)	वनत्तर भूमि पर	
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	याचक विभाग द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा जनहित में संस्तुति से प्रेषित।

तथि.....

स्थान: कोटबंगला, उत्तरकाशी।

हस्ताक्षर:


प्रभगीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

नाम

सरकारी मोहर

भाग-II

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

	परियोजना स्कीम का स्थान	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बनगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग विस्तार कार्य (लम्बाई 5.725 कि०मी०) हेतु 3.735 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु लो०नि०वि० चिन्यालीसौड को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
i)	जिला	उत्तरकाशी
ii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
v)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	3.735 है०
vi)	वन की कानूनी स्थिति	3.105 है० आरक्षित खाटल कक्ष-1ए 0.630 है० सिविल सोयम भूमि चापडा 3.735 है०
vii)	हरियाली का घनत्वा	0.5
viii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 345 वृक्ष बाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
ix)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
x)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.50 कि०मी० के अन्तर्गत है।
xi)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
xii)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1720356.00 रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1720356.00 रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। साथ ही रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 1976911.00 रु० का एवं काटे जाने वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 3450000.00 प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
ii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1720356.00 रु0, रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 1976911.00 रु0 एवं एवं काटे जाने वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 3450000.00 का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1720356.00 रु0, रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 1976911.00 एवं एवं काटे जाने वृक्षों के ऐवज में 10 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 3450000.00 का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण निपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 135.1275 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर-	क- 270.255 है0 ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	क- 34.27 है0 ख - 190.35 है0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार दिनांक को प्रश्नगम भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक

स्थान

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।